

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, रविवार, जुलाई 1, 1979/आषाढ़ 10, 1901
No. 270] NEW DELHI SUNDAY, JULY 1, 1979/ASADHA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate pages are given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1979
सीमा-शुल्क

क्र. आ. 380(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 91-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च,
1963 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में,—

- (क) स्तम्भ 1 में “सीमा-शुल्क कलक्टर (अपील) मुम्बई” प्रविष्टि से संबंधित
स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी,
अर्थात् :—

“महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश (जिसमें विशाखापट्टनम पत्तन और वायु पत्तन के अधीन क्षेत्र और विशाखापट्टनम नगरपालिका के अधीन क्षेत्र नहीं आते) राज्य और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र।” ;

(ख) स्तम्भ 1 में “सीमा-शुल्क कलेक्टर (अपील), मद्रास” से संबंधित स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नीलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य और आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम पत्तन और वायु पत्तन के अधीन क्षेत्र तथा विशाखापट्टनम नगरपालिका के अधीन क्षेत्र और पण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।” ;

(ग) स्तम्भ 1 में प्रविष्टि “सीमा-शुल्क कलेक्टर (अपील) हैदराबाद” और स्तम्भ 2 में उससे संबंधित प्रविष्टि का लाप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 151/फा. सं. 437/4/79-सी.शु. 4]

एस. बासु, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1979

CUSTOMS

S.O. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 91-Customs, dated the 1st March, 1963, namely :—

In the Table below the said notification,—

(a) for entry in column 2 corresponding to the entry “Appellate Collector of Customs, Bombay” in column 1, the following entry shall be substituted, namely :—

“The States of Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh (excluding the area under the port and airport of Visakhapatnam and the area under Visakhapatnam Municipality) and the Union Territory of Goa, Daman and Diu.”;

(b) for the entry in column 2 corresponding to the entry “Appellate Collector of Customs, Madras” in column 1, the following entry shall be substituted, namely :—

“The states of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and the area under the port and airport of Visakhapatnam and the area under Visakhapatnam Municipality in the State of Andhra Pradesh and the Union Territory of Pondicherry.”

(c) the entry “Appellate Collector of Customs and Central Excise, Hyderabad” in column 1 and entries corresponding thereto in column 2, shall be omitted.

[Notification No. 151/F. No. 437/4/79-Cus. IV]

S. BASU, Under Secy.